न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

फर्द अहकाम

बउनवानी:–नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर **बनाम** बाबूलाल वगै
किस्म प्रकरण– मुन्तकिली प्रार्थना पत्र

प्रकरण संख्या 43 / 2025

जीसीएमएस संख्या 2025 / 116

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न./ता.अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुआ
11.3.2026	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि वकील प्रार्थी द्वारा उपजिला कलेक्टर न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण संख्या 08 / 2024 बाबूलाल बनाम सचिव नगर विकास न्यास सवाई माधोपुर को अन्य न्यायालय मे मुन्तकिल करवाने का मुख्य कारण यह बताया गया कि उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पास सचिव नगर विकास न्यास का अतिरिक्त कार्यभार है इसलिए उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से न्याय की उम्मीद नही है। किन्तु वर्तमान में सचिव नगर विकास सवाईमाधोपुर का अतिरिक्त कार्यभार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर के पास होने के कारण प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र Infructuous हो गया है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र Infructuous हो जाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश सुनाया गया। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner